



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2509]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2509]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

का.आ. 3026(अ).—केन्द्रीय सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान (बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का प्रत्ययन) आदेश, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का प्रत्ययन) (संशोधन) आदेश, 2012 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. केन्द्रीय मोटरयान (बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का प्रत्ययन) आदेश, 2012 में पैरा 1 के उप-पैरा (2) में "31 दिसम्बर, 2012 को" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2013 को" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर टी-11028/08/2007-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 2356(अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2012

S.O. 3026(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the Central Motor Vehicles (Accreditation of Bus Body Builders) Order, 2012, namely :—

1. (1) This Order may be called the Central Motor Vehicles (Accreditation of Bus Body Builders) (Amendment) Order, 2012.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Central Motor Vehicles (Accreditation of Bus Body Builders) Order, 2012, in para 1, in sub-para (2), for the words, figures and letters "on the 31st day of December, 2012", the words, figures and letters "on the 1st day of April, 2013" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/08/2007-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 2356(E), dated the 3rd October, 2012.